पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल
फोन नं 0755–2555726 फैक्स नं.–0755–2552899 ई–मेल mpprd.finance@mp.gov.in

क्रमांक / पं.रा / बजट / सर्वर / 2020–21 / 1323 भोपाल, दिनांक 02 / 01 / 2021

प्रति,

प्राचार्य,
पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र,
नौगांव (छतरपुर), मुलताई (बैतूल), शिवपुरी, राऊ(इन्दौर)
मध्यप्रदेश।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए मांग संख्या–62 में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्रो हेतु योजना क्रमांक–2468 अन्तर्गत चतुर्थ त्रैमास हेतु बजट आबंटन बाबत्।

–00–

पंचातय राज संचालनालय अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वित्त विभाग द्वारा रोकी गयी राशि विमुक्त करने से बी.सी.ओ में प्राप्त हुई है,जिससे कार्यालयीन व्यय की मद 22–006 का आवंटन जारी किया जा रहा है।

तदानुसार स्वीकृति के तारतम्य में पंचायतराज संचालनालय के अंतर्गत प्राचार्य सचिव प्रशिक्षण केन्द्र के आहरण संवितरण अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में चतुर्थ त्रैमान्तक व्यय के लिए संलग्न परिशिष्ट अनुसार संबंधित प्रशिक्षण संस्थाओं को उनके नाम के समक्ष अंकित मद अनुसार **कुल राशि 2000/–(राशि–दो हजार मात्र)** का आवंटन जारी किया जाता हैं।

उक्त व्यय मांग संख्या–62–शीर्ष–2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–**2468**–पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था–9999 के उद्देश्य शीर्ष 22–006 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

तदानुसार सौंपे गए आबंटन एवं तद्संबंधी दिए निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए योजनाओं के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय किया जावे :–

(1) व्यय करते समय शासन के मितव्ययता संबंधी समय–समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन किया जावे। कोई भी व्यय किसी भी परिस्थिति में बजट आबंटन से अधिक न किया जावे।

(2) व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर कार्यालय के आकड़ों से करने की जवाबदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की होगी। व्यय के आकड़ों का मिलान भी महालेखाकार द्वारा निर्धारित तिथि में अनिवार्य रूप से किया जावे।

निरंतर...

(3) व्यय की जानकारी संचालनालय को निर्धारित प्रारुप में अनिवार्यतः प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भिजवाने की पाबंदी रखी जाय।

(4) संचालनालय व्दारा आपको उपलब्ध कराये जा रहे उपरोक्तानुसार बजट का उपयोग नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। आवश्यकता से अधिक बजट उपलब्ध होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक आवश्यक व्यय का के अनुमान का आकंलन कर शेष राशि संचालनालय के बी0सी0ओ0कोड़–2203 में समर्पित कर समर्पण आई0डी0 एवं पूर्ण विवरण सहित संचालनालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी स्थिति में जारी किया गया आवंटन लेप्स नहीं होवे इसका ध्यान रखें। आवंटन लेप्स होने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती हैं, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्न :– परिशिष्ट

30/1/2021

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2020–21/ 1324 भोपाल, दिनांक 02/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, पं0ग्रा0वि0 विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, कोष एवं लेखा संचालनालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला(संबंधित) मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–जिला संबंधित म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
7. संयुक्त संचालक/उप संचालक(प्रशिक्षण)पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
8. संबंधित, कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। सौंपे गये आबंटन के विरूद्ध बंटन आदेशानुसार व्यय सुनिश्चित करें।
9. निज सहायक, संचालक, पंचायत राज संचालनालय की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पंचायत राज संचालनालय म0प्र0भोपाल

परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2020–21 में मांग संख्या–62–(आयोजनेत्तर)–2515–योजना क्रमांक–2468–पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था में आवंटित राशि का विवरण मूल बजट प्रावधान अनुसार

(राशि रूपये में)

क्र.	मद का नाम	बजट प्रावधान	उपलब्ध बजट	चतुर्थ त्रैमास हेतु जारी आवंटन				
				संस्था का नाम – पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र				
				मुलताई(बैतूल) 0302203001	शिवपुरी 3902602002	नौगांव(छतरपुर) 0602602003	राऊ(इन्दौर) 1702203001	कुल आबंटित राशि
				आबंटित राशि	आबंटित राशि	आबंटित राशि	आबंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	# 22 006–वर्दिया	10000	10000	500	500	500	500	2000
योग		10000	10000	500	500	500	500	2000

30/1/2021

संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
म.प्र.भोपाल